

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/विकास/2022/798


दिनांक: 25/1/2022

## // अधिसूचना //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 75/196/आउशि/छा/2021 भोपाल दिनांक 21/01/2022 के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 में "गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण" योजना में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21.02.2022 निर्धारित की गई है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


पत्र संलग्न :- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विभागाध्यक्ष अध्ययनशालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राध्यापक महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. माननीय कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरतरिया, वेबसाइट प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. संबद्धता शाखा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
उप/सहा. कुलसचिव (विकास)



बेटी है तो कल है

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 75 / 196 / आउशि / छा / 2021  
प्रति,

भोपाल दिनांक 21 / 01 / 2022

1. कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय  
मध्यप्रदेश

विषय:- गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में छात्राओं के नवीन/नवीनीकरण के अंतर्गत आवेदन करने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 922 / 196 / आउशि / छा / 2021 दिनांक 17.12.2021  
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 950 / 196 / आउशि / छा / 2021 दिनांक 29.12.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में गाँव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना में नवीनीकरण के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2021 निर्धारित की गई थी।

साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नवीन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 20.01.2022 निर्धारित की गई थी।

जिसमें महाविद्यालयों के द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि दोनों योजनाओं में तकनीकी त्रुटि होने के कारण अधिकांश छात्राओं के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2021-22 में गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना में नवीन एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 21.02.2022 निर्धारित की जाती है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना में पात्र छात्राओं को नवीन/नवीनीकरण अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत करायें। किसी भी छात्रा का आवेदन संबंधित योजना में ऑनलाईन स्वीकार्य किया जायेगा। ऑफलाईन आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। ऑफलाईन आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/प्रभारी की जिम्मेदारी निश्चित की जावेगी। छात्राओं के आवेदन में उत्पन्न तकनीकी त्रुटि के संबंध में तत्काल छात्रवृत्ति शाखा के ईमेल [heschlor@mp.gov.in](mailto:heschlor@mp.gov.in) पर छात्रा की पूर्ण जानकारी सहित अवगत कराये।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित )

A. J. 21/1

(डॉ अजय अग्रवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 / 01 / 2022

पृ.क्रमांक 76 / 196 / आउशि / छा. / 2021

प्रतिलिपि:-

- 1 स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2 निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
- 3 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

A. J. 21/1

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश